

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 17, 2016/कार्तिक 26, 1938

No. 411]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 17, 2016/KARTIKA 26, 1938

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2016

सं. एन-10/07/2013.—पीपीसी प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25 की धारा 33 की उपधारा (2) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 9 और धारा 11 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) कैमरामैन ग्रेड-III पद सेवा विनियम, 2002 का अधिक्रमण करते हुए, इस अधिक्रमण से पूर्व किए गए या किए जाने वाले कार्यों के अतिरिक्त, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(i) इन विनियमों का नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) वीडियो एक्जिक्यूटिव, कैमरामैन ग्रेड-I और कैमरामैन ग्रेड-III भर्ती विनियम, 2016 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पद संख्या, पे बैंड और ग्रेड पे या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, इनका पे बैंड और ग्रेड पे या वेतनमान वह होगा जो इन विनियमों की संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम 5 से 12 में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **वरिष्ठता** इन विनियमों के अंतर्गत भर्ती होने वाले वीडियो एक्जी़क्यूटिव, कैमरामैन ग्रेड-I और कैमरामैन ग्रेड-III की पारस्परिक वरिष्ठता कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य अनुदेशों के अनुसार होगी।
- 5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसकी पति या जिसकी पत्नी जीवित है,
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परंतु यदि निगम का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5318 GI/2016 (1)

6. **नैमित्तिक कर्मियों के लिए आयु में छूट.**—कैमरामैन का कार्य निष्पादन करने वाले दूरदर्शन केंद्रों में कार्यरत नैमित्तिक कर्मियों को कैमरामैन के रूप में उनकी नैमित्तिक आधार पर की गई सेवा अविध तक सीधी भर्ती में आयु सीमा में छूट दी जाएगी:

बशर्ते एक कलैंडर वर्ष में कम से कम एक सौ बीस दिनों की सेवा को एक वर्ष की सेवा के रूप में गिना जाएगा।

स्पष्टीकरण- एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि इस विनियम के उद्देश्य के लिए की गई सेवा सीमा के निर्धारण हेतु नैमित्तिक आधार पर कैमरामैन के रूप में एक कैलेण्डर वर्ष में एक सौ बीस दिन की न्यूनतम कुल अवधि के लिए अनुबंध को एक वर्ष गिना जाएगा और एक कैलेण्डर वर्ष में एक सौ बीस दिन की अवधि से कम अनुबंध को इस आयु छूट के योग्य नहीं माना जाएगा।

- 7. **छूट देने की शक्ति.**—जहां निगम की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन और प्रसार भारती भर्ती बोर्ड से परामर्श करके, इन विनियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा छूट दे सकेगा।
- 8. व्यावृत्ति.—सरकार द्वारा समय-समय पर जारी जिन आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है, उनसे संबंधित आरक्षण, आयुसीमा में छूट और अन्य रियायतों पर इन विनियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड और ग्रेड पे या वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. दूरदर्शन वीडियो एक्जिक्यूटिव	*17 (2016) * पदों में परिवर्तन कार्य - मात्रा के अधीन होगा। टिप्पणी: प्रत्येक ग्रेड में पदों की संख्या उस ग्रेड के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या होनी चाहिए और किसी भी समय निगम में प्रतिनियुक्ति-वत सरकारी कर्मचारियों और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए।	ग्रुप 'ए'	पे बैंड-3 (रु. 15600- 39100) और रु. 6600 /- ग्रेड पे	चयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट आयु और शैक्षिक योग्यताएं क्या पदोन्नति के मामले में लागू होती हैं	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती से या पदोन्नति से या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से रिक्तियों को भरने का प्रतिशत
8	9	10
लागू नहीं	दो वर्ष	100 प्रतिशत पदोन्नित टिप्पणी: प्रत्येक ग्रेड में किसी विशेष वर्ष में उत्पन्न रिक्तियां फीडर ग्रेड में कर्मचारियों के दो वर्गों द्वारा भरी जाएंगी अर्थात् निगम द्वारा अधिसूचित किए निगम के प्रतिनियुक्तिवत सरकारी कर्मचारी और निगम के अधिकारी व कर्मचारी।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना
जाना है, ऐसी भर्ती के संबंध में	
11	12
<u>पदोन्नति –</u> पे बैंड 2, रु. 9,300 - 34800, ग्रेड पे रु. 5400/-	पदोन्नति के लिए विभागीय समिति
टिप्प्णी 1: जहां कनिष्ठ कर्मियों ने अपनी योग्यता/अर्हता सेवा पूर्ण कर ली है,	1. सदस्य (कार्मिक), प्रसार भारती : —अध्यक्ष
उनकी पदोन्नति पर विचार किया जाएगा। उनके वरिष्ठ भी उच्च पद पर पदोन्नति	2. अपर महानिदेशक (कार्यक्रम) दूरदर्शन: —सदस्य
के पात्र हैं बशर्ते उनकी अपेक्षित अर्हता/योग्यता सेवा, इन अर्हता/योग्यता सेवा की	3. उप महानिदेशक (प्रशासन) दूरदर्शन: —सदस्य
आधी से ज्यादा हो या 2 वर्ष जो भी कम हो और अगले उच्च ग्रेड की पदोन्नति के	
लिए परिवीक्षावधि सफलतापूर्वक पूरी की गई हो जिसमें उनके कनिष्ठ भी शामिल	
हैं जिन्होंने अर्हता/योग्यता सेवा पहले ही प्राप्त कर ली है।	
टिप्पणी 2 : पदोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन से,	
1 जनवरी, 2006 से पहले अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (उस	
दिनांक में जब ये छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया है)	
को आयोग की सिफारिशों पर आधारित समकक्ष ग्रेड पे और वेतनमान में की गई	
सेवा माना जाएगा।	

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड और ग्रेड पे	क्या चयन पद है	सीधी भर्ती के लिए	सीधी भर्ती के लिए
			या वेतनमान	या गैर चयन पद	आयु सीमा	अपेक्षित शैक्षिक
						और अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7
2. कैमरामैन	*93 (2016)	ग्रुप 'बी'	पे बैंड 2-	चयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं
ग्रेड -I	*पदों में परिवर्तन कार्य		(रु 9300-			
	मात्रा के अधीन होगा।		34800) और			
			रु. 5400/- ग्रेड पे			
	टिप्पणी: प्रत्येक ग्रेड में					
	पदों की संख्या उस ग्रेड के					
	लिए स्वीकृत पदों की कुल					
	संख्या होनी चाहिए और					
	किसी भी समय निगम में					
	प्रतिनियुक्तिवत सरकारी					
	कर्मचारियों और निगम के					
	अधिकारियों और					
	कर्मचारियों की कुल					
	संख्या से अधिक नहीं					
	होनी चाहिए।					

सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट आयु और शैक्षिक योग्यताएं क्या पदोन्नति के मामले में लागू होती हैं	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धित चाहे सीधी भर्ती से या पदोन्नित से या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धितयों से रिक्तियों को भरने का प्रतिशत
8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा टिप्पणी: प्रत्येक ग्रेड में किसी विशेष वर्ष में उत्पन्न रिक्तियां (सीधी भर्ती पदों के अलावा अन्य) फीडर ग्रेड में कर्मचारियों के दो वर्गों द्वारा भरी जाएंगी अर्थात निगम द्वारा अधिस्चित किए निगम के प्रतिनियुक्तिवत सरकारी कर्मचारी और निगम के अधिकारी व कर्मचारी।

पदोन्नति प्रतिनियुक्ति/ आमेलन ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना
जाना है, ऐसी भर्ती के संबंध में	
11	12
पदोन्नति – कैमरामैन ग्रेड-II, के पद में 3 वर्ष नियमित सेवा पे रु. 9,300-34800,	पदोन्नति के लिए विभागीय समिति
ग्रेड पे रु. 4600/- की ग्रेड पे सहित।	1. सदस्य (कार्मिक), प्रसार भारती : —अध्यक्ष
टिप्पणी : जहां कनिष्ठ कर्मियों ने अपनी योग्यता/अर्हता सेवा पूर्ण कर ली है,	2. अपर महानिदेशक (कार्यक्रम) दूरदर्शन: —सदस्य
उनकी पदोन्नति पर विचार किया जाएगा। उनके वरिष्ठ भी उच्च पद पर पदोन्नति	3. उप महानिदेशक (प्रशासन) दूरदर्शन: —सदस्य
के पात्र हैं बशर्ते उनकी अपेक्षित अर्हता/योग्यता सेवा, इन अर्हता/योग्यता सेवा की	4. निदेशक (कर्यक्रम) दूरदर्शन: —सदस्य
आधी से ज्यादा हो या 2 वर्ष जो भी कम हो और अगले उच्च ग्रेड की पदोन्नति के	
लिए परिवीक्षावधि सफलतापूर्वक पूरी की गई हो जिसमें उनके कनिष्ठ भी शामिल	
हैं जिन्होंने अर्हता/योग्यता सेवा पहले ही प्राप्त कर ली है।	
टिप्पणी 2 : पदोन्निति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन से,	
1 जनवरी, 2006 से पहले अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (उस	
दिनांक में जब ये छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया है) को	
अयोग की सिफारिशों पर आधारित समकक्ष ग्रेड पे और वेतनमान में की गई सेवा	
माना जाएगा।	

	1	1	1	ı	T	
पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड और ग्रेड पे	क्या	सीधी भर्ती के लिए आयु	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित
			या वेतनमान	चयन पद	सीमा	शैक्षिक और अन्य योग्यताएं
				है या गैर		
				चयन पद		
1	2	3	4	5	6	7
3. कैमरा मैन	* 131 (2016)	ग्रुप 'बी'	पे बैंड-2	चयन पद	30 वर्ष से अधिक नहीं	<u>अनिवार्य:</u> (क) मान्यता प्राप्त
ग्रेड - III	*पदों में परिवर्तन		(रु. 9300		(प्रसार भारती के	संस्थान/विश्वविद्यालय स्नातक
	कार्य मात्रा के		34800) और		कर्मचारियों को 5 वर्ष की	डिग्री सिनेमाटोग्राफी में
	अधीन होगा।		रु. 4200 /- ग्रेड पे		छूट)।	स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र या
						डिप्लोमा प्राप्त किया हो; या
	टिप्पणी : प्रत्येक				टिप्यणी :	मान्यताप्राप्त संस्थान या
	ग्रेड में पदों की				आयु सीमा निर्धारित करने	विश्वविद्यालय से सिनेमाटोग्राफी
	संख्या उस ग्रेड के				नी निर्णायक तारीख	में डिग्री।
	लिए स्वीकृत पदों				भारत के अभ्यर्थियों से	
	की कुल संख्या				आवेदन प्राप्त करने के	वांछनीय : मोशन पिक्चर
	होनी चाहिए और				लिए नियत की गई अंतिम	फोटोग्राफी में 1 वर्ष का अनुभव।
	किसी भी समय				तारीख होगी।	टिप्पणी 1 : अर्हता प्राप्त
	निगम में प्रति-				(परंतु वे अंतिम तारीख जो	अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम
	नियुक्तिवत सर-				कि असम, मेघालय,	प्राधिकारी के अधिकार से अर्हता
	कारी कर्मचारियों				अरूणाचल प्रदेश,	में छूट प्रदान की जा सकती है।
	और निगम के				मिजोरम, मणिपुर,	टिप्पणी 2 : अनुसूचित जाति और
	अधिकारियों और				नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,	जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों
	कर्मचारियों की				लद्दाख, जम्मू और कश्मीर	के मामले में सक्षम प्राधिकारी के
	कुल संख्या से				राज्य के प्रभाग, हिमाचल	विवेक से अनुभव से संबंधित
	ज्यादा नहीं होनी				प्रदेश के लाहौल और	अर्हता में छूट प्रदान की जा सकती
	चाहिए।				स्पीति जिले और चम्बा	है, चयन के किसी भी चरण में
					जिले के पांगी उप प्रभाग,	यदि सक्षम प्राधिकारी की यह राय
					संघ शासित क्षेत्र अण्डमान	है कि इन समुदायों से अनुभव वाले
					और निकोबार द्वीप समूह	अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या नहीं
					या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों	मिलती (उनके लिए आरक्षित
					के लिए निर्धारित नहीं	रिक्तियों को भरने के लिए)
					होगी।	

सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट आयु	परिवीक्षा अवधि यदि कोई है	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती से या पदोन्नति से या प्रतिनियुक्ति/आमेलन
और शैक्षिक योग्यताएं क्या पदोन्नति		द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से रिक्तियों को भरने का प्रतिशत
के मामले में लागू होती हैं		
8	9	10
लागू नहीं	दो वर्ष	90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 10 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा
		टिप्पणी : प्रत्येक ग्रेड में किसी विशेष वर्ष में उत्पन्न रिक्तियां (सीधी भर्ती
		पदों के अलावा अन्य) फीडर ग्रेड में कर्मचारियों के दो वर्गों द्वारा भरी
		जाएंगी अर्थात निगम द्वारा अधिसूचित किए निगम के प्रतिनियुक्तिवत
		सरकारी कर्मचारी और निगम के अधिकारी व कर्मचारी।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना
किया जाना है, ऐसी भर्ती के संबंध में	
11	12
पदोन्नति – पे बैंड-I, रु. 5,200 - 20200, ग्रेड पे रु. 2800/- के ग्रेड की छह	<u>पदोन्नति के लिए विभागीय समिति</u>
साल की सेवा में लाइटिंग सहायक।	1. सदस्य (कार्मिक), प्रसार भारती —अध्यक्ष
टिप्पणी : जहां कनिष्ठ कर्मियों ने अपनी योग्यता/अर्हता सेवा पूर्ण कर ली है,	2. अपर महानिदेशक (कार्यक्रम) दूरदर्शन —सदस्य
उनकी पदोन्नति पर विचार किया जाएगा। उनके वरिष्ठ भी उच्च पद पर	3. निदेशक (कार्यक्रम) दूरदर्शन —सदस्य
पदोन्नति के पात्र हैं बशर्ते उनकी अपेक्षित अर्हता/योग्यता सेवा, इन	4. उप महानिदेशक (प्रशासन) दूरदर्शन —सदस्य
अर्हता/योग्यता सेवा की आधी से ज्यादा हो या 2 वर्ष जो भी कम हो और	
अगले उच्च ग्रेड की पदोन्नति के लिए परिवीक्षावधि सफलतापूर्वक पूरी की	(विभागीय पदोन्नति समिति स्थायीकरण हेतु)
गई हो जिसमें उनके कनिष्ठ भी शामिल हैं जिन्होंने अर्हता/योग्यता सेवा पहले	(i) अपर महानिदेशक (कार्यक्रम) दूरदर्शन — अध्यक्ष
ही प्राप्त कर ली है।	(ii) निदेशक (कार्यक्रम) दूरदर्शन —सदस्य
	(iii) निदेशक (प्रशासन) दूरदर्शन —सदस्य
टिप्पणी 2: पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन से,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1 जनवरी, 2006 से पहले अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा	
(उस दिनांक में जब ये छठें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया	
गया है) को अयोग की सिफारिशों पर आधारित समकक्ष ग्रेड पे और वेतनमान	
में की गई सेवा माना जाएगा।	

संजीव कुमार जिंदल, अपर महानिदेशक (प्रशासन)

[विज्ञापन-III/4/असा./306(163)]

PRASAR BHARATI

(BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2016

No. N-10/07/2013-PPC.—In exercise of the powers conferred by section 9 and sub-section (5) of section 11 read with clauses (c) and (d) of sub-section (2) of section 33 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), and in supersession of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Junior Programme Posts) Recruitment Regulations, 2002, in so far as they relate to the post of Cameraman Grade-III, except as respects things done or to be done before such supersession, the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

- **1. Short title and commencement**.—(1) These regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Doordarshan Video Executive, Cameraman Grade-I and Cameraman Grade-III Recruitment Regulations, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said posts, their pay band and grade pay or pay scale shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
- **3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (12) of the said Schedule.

- **4. Seniority.**—The inter-se seniority of Video Executive, Cameraman Grade-I and Cameraman Grade-III who are appointed under these regulations shall be in accordance with the general instructions issued by the Department of Personnel and Training from time to time.
- **5. Disqualification**.—No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

6. Age relaxation for casual assignees.—The casual assignees working in Kendras of Doordarshan performing the duties of Cameraman shall be eligible for relaxation of age for direct recruitment to such extent of their services rendered as Cameraman on casual basis.

Provided that a minimum of one hundred and twenty days service in a calendar year shall be reckoned as one year service.

Explanation – It is hereby clarified that for determining the extent of service rendered for the purpose of this regulation, engagement for a total minimum period of one hundred and twenty days in one calendar year as Cameraman on casual basis shall be taken as one year and their engagement for less than one hundred and twenty days in a calendar year shall not qualify for such age relaxation.

- 7. Power to relax.—Where the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Prasar Bharati Recruitment Board, and with the prior approval of Central Government, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
- **8.** Saving.—Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Exservicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Doordarshan- Video Executive.	17* (2016). * Subject to variation dependent on the work load. Note: The number of posts in each grade is the total number of the posts sanctioned for that grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation.	Group 'A'.	Pay Band - 3, Rs. 15600-39100 plus Grade pay of Rs. 6600/

Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(5)	(6)	(7)	(8)
Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(9)	(10)
Two years.	Hundred per cent by promotion.
	Note: The vacancies arising in a particular year shall be filled up by two categories of employees in the feeder grades, i.e. the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation, as may be notified by the Corporation.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
(11)	(12)
Promotion: Five years of regular service as Cameraman Grade I, in the pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 5400/ Note 1 Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered, their senior would also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Member (Personnel), Prasar Bharati: —Chairperson; 2. Additional Director General (Programme), Doordarshan: —Member; 3. Deputy Director General
Note 2 For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1 st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay and pay scale extended based on the recommendations of the Commission.	(Administration). Doordarshan: —Member.

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale
(1)	(2)	(3)	(4)
2. Cameraman Grade-I.	*93 (2016). * Subject to variation dependent on the workload. Note The number of posts in each grade is the total number of the posts sanctioned for that grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation.	Group 'B'.	Pay Band- 2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 5400/

Whether selection post or non-selection post	· ·		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(5)	(6)	(7)	(8)
Selection.	Not applicable	Not applicable	Not applicable.

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(9)	(10)
Not applicable	Hundred per cent by promotion. Note: The vacancies arising in a particular year shall be filled up by two categories of employees in the feeder grades, i.e. the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation, as may be notified by the Corporation.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
(11)	(12)
Promotion: Cameraman Grade-II with three years of regular service in the grade, in the pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600/ Note 1 Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered, their senior would also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2 For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay and pay scale extended based on the recommendations of the Commission.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Member (Personnel), Prasar Bharati: —Chairperson; 2. Additional Director General (Programme), Doordarshan: —Member; 3. Deputy Director General (Administration). Doordarshan: —Member; 4. Director (Programme), Doordarshan: —Member.

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale
(1)	(2)	(3)	(4)
3. Cameraman Grade-III.	*131 (2016). * Subject to variation dependent on the workload. Note: The number of posts in each grade is the total number of the posts sanctioned for that grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation.	Group 'B'.	Pay Band- 2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200.

Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Selection.	Not exceeding 30 years. (Relaxable for employees of Prasar Bharati upto five years) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in (Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential: (A) 1. Bachelor's Degree from a recognised University. 2. Post Graduate Certificate/Diploma of at least one year duration in Cinematography from a recognized University / Institute; or (B) Bachelor's Degree in Cinematography from a recognized University / Institute. Desirable: One year experience in motion picture photography. Note1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at

	any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
--	---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	Ninety per cent by direct recruitment; and ten per cent by Promotion. Note: The vacancies arising in a particular year in each grade (other than the direct recruitment posts) be filled up by two categories of employees in the feeder grades, i.e. the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation, as may be notified by the Corporation.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.

(11)

Promotion: Lighting Assistant with six years regular service in the grade, in the pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2800/-.

Note 1.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered, their senior would also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay and pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.				
(12)				
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:				
1. Member (Personnel), Prasar Bharati:	—Chairperson;			
2. Additional Director General (Programme), Doordarshan:	Member;			
3. Director (Programme), Doordarshan:	Member;			
4. Deputy Director General (Administration), Doordarshan:	—Member.			
<u>Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:</u>				
1. Additional Director General (Programme), Doordarshan	—Chairman;			
2. Director (Programme), Doordarshan	—Member;			
3. Director (Administration), Doordarshan	—Member.			

SANJEEV KUMAR JINDAL, Addl. Director General

[ADVT.-III/4/Exty./306(163)]